झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, राँची–834001

ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि–24.12.2018

विज्ञापन

विज्ञापन संख्या–12/2018

झारखण्ड न्यायिक सेवान्तर्गत असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) नियमित नियुक्ति परीक्षा।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के पत्रांक–7671 दिनांक–15.10.2018 द्वारा अधियाचित एवं संसूचित रिक्तियों के अनुरूप झारखण्ड न्यायिक सेवा **"असैनिक न्यायाधीश, (कनीय कोटि)" Civil Judge, Junior Division** के **107** पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु इच्छुक एवं अर्हत्ताधारी भारतीय उम्मीदवारों से झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन निर्धारित/विहित प्रपत्र में निम्न रूपेण आमंत्रित किया जाता है :–

1. **पद का नाम**

(a) असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि) Civil Judge, Junior Division

(b) कोटिवार रिक्तियों की संख्या का विवरणः–

Details of the number of Vacancy Category wise :-

Vertical Reservation			Horizontal Reservation					
SL. No.	Category	Total Vacancies	Primitive Tribe *	Women Reserved Seats *	Other: Sports *	Handicapped reserved		
						Low Vision *	Low Hearing *	Locomotor Disability (Except Cerebral Palsy) *
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a	Unreserved	78	-	05 (अनारक्षित वर्ग से 04 तथा किसी भी आरक्षित वर्ग में से 01)	03	02	02	02
b	ST	17	00					
c	SC	05						
d	EBC (Anx.-1)	04	-					
e	BC (Anx.-2)	03	-					
Total a to e		107						

* Reservation in these categories will be horizontal reservation.

(c) **निःशक्तता का लाभ :–**

(i) आवेदन पत्र में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित निःशक्तता का दावा नहीं करने पर निःशक्तता का लाभ देय नहीं होगा। बाद में निःशक्तता का दावा मान्य नहीं होगा।

(ii) निःशक्तता के लाभ हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या–5888 दिनांक–06.08.2018 प्रभावी होगी। निःशक्तता का लाभ कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्त अभ्यर्थी को ही देय होगा। निःशक्तता का दावा हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या–2249 दिनांक–03.04.2018 के आलोक में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप **मुख्य परीक्षा के पूर्व आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा निःशक्तता के लिए किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा।** निःशक्तता प्रमाण पत्र का प्रपत्र आयोग के

वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर **Important Jharkhand Government Circular and Notices** में भी उपलब्ध है।

(d) खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–1709 दिनांक–12.09.2007 द्वारा श्रेणी –II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :–

प्रतियोगिता का स्तर	उपलब्धि
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता।	प्रथम स्थान
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	विश्व रिकार्ड

(e) वेतनमान–27700–770–33090–920–40450–1080–44770

Pay Scale- 27700-770-33090-920-40450-1080-44770

"Dearness or other allowances payable and rate – as per the rate prescribed by the government from time to time is payable in the pay scale/pay-band."

2. (A) **अनिवार्य योग्यता (Essential Qualifications) -**

(i) Graduate in Law from a recognized University and enrolled as an advocate under The Advocates Act, 1961 till last date of submission of application form.
(आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक उतीर्ण एवं अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत निबंधित होना अनिवार्य होगा।

(ii) Candidate should possess sound health, bears good moral character and is not involved in, or related to any criminal case involving moral turpitude.
(अभ्यर्थी उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम आचरण धारण करते हों और नैतिक नीचता से संबंधित आपराधिक मामले में न तो संलिप्त हों अथवा संबंध रखते हों।)

(B) **आयु सीमा (Age) :-**

(i) Above the age of 22 years and below the age of 35 years as on **31.01.2018**
(दिनांक–31.01.2018 को अभ्यर्थी की आयु 22 वर्ष से अधिक तथा 35 वर्ष से कम हो।)

(ii) Provided that in the case of female candidate, or candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribe there shall be relaxation of the upper age limit by 3 years.
(परन्तुक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में तीन वर्ष की छूट होगी।)

(iii) Disabled Candidates will be given Categorywise age relaxation of 10 years.
(निःशक्त अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में कोटिवार 10 वर्षों की छूट दी जायेगी)

3. If the number of candidates is very large and in the opinion of the Hon'ble Jharkhand High Court it is desirable to have a Preliminary Entrance Test in order to limit the candidates for the Main Examination, then a Preliminary Entrance Test (PT) shall be conducted by the Commission. The Main Examination and Viva Voce Test shall follow the Preliminary Entrance Test for making direct recruitment to the post of Civil Judges, Junior Division .

(a) "Preliminary Entrance Test" means Written Examination (Multiple Choice Questions/Objective Type) only and the candidates declared successful in this test shall be eligible for the Main Examination.

(b) "Main Examination" means Written Examination (Subjective) and the candidates declared successful in this Test shall be eligible for Viva-Voce Test.

(c) "Viva-Voce Test" means an Oral Examination.

4. **The Syllabus for the Preliminary Entrance Test shall consist of :-**
   (i) General English
   (ii) General Knowledge (including Current Affairs)
   (iii) The Code of Civil Procedure, 1908.
   (iv) The Code of Criminal Procedure, 1973.
   (v) The Indian Evidence Act, 1872.
   (vi) The Law of Contract, 1872.
   (vii) The Indian Penal Code, 1860.

5. The Preliminary Entrance Test shall be of 100 marks in aggregate. The marks obtained in preliminary examination shall not be counted for the purpose of final selection. There shall be no negative marking.

6. **The Merit List shall be prepared as under:-**
   (i) Candidates shall be arranged in seriatim as per marks obtained by them in the Recruitment Process.
   (ii) This List shall be prepared category-wise for both preliminary entrance test as well as main examination.

7. The candidates up to 15 times of the total vacancy category-wise shall be called for appearing in the Main Examination. In case of tie of marks between the candidates at the last pedestal, all the candidates obtaining such marks shall be called for appearing in the Main Examination irrespective of exceeding of number beyond 15 times of vacancies.

8. Duration of Preliminary Entrance Test shall be of two hours.

9. **The Main Examination shall be of four papers of 100 marks each comprising of the questions on the following subjects. :-**

Paper - I

(i) Procedural Law (The Code of Civil Procedure, 1908 and The Code of Criminal Procedure, 1973).
(ii) The Indian Penal Code, 1860.
(iii) The Indian Evidence Act, 1872.
(iv) The Limitation Act, 1963.

Paper - II

(i) The Contract Act, 1872
(ii) The Sales of Goods Act, 1930
(iii) The Negotiable Instruments Act, 1881
(iv) The Arbitration and Conciliation Act, 1996
(v) The Transfer of Property Act, 1882

Paper - III

(i) The Hindu Law and The Mohammedan Law

(ii) Rent Control Law.

(iii) The Specific Relief Act, 1963

(iv) Jurisprudence

Paper IV (Language)

Hindi & English (Essay, Precise writing, Translation & Paraphrase)

10. Duration of Main Examination shall be of three hours for each paper.

11. Appearing in each paper will be compulsory.

12. The candidates up to **three times** of total vacancy category-wise shall be called to appear in the Viva-voce Test on the basis of marks obtained by them in the main examination. In case of tie of marks between the candidates at the last pedestal, all the candidates obtaining such marks shall be called for appearing in the Viva-Voce Test irrespective of exceeding of number beyond three times of total vacancies.

13. There shall be Viva-Voce Test of **100 marks**. In the Viva-Voce Test the minimum required qualifying marks would be 25% for the General category candidates and 20% for SC/ST/EBC & BC.

14. The final selection list shall be prepared on the basis of the marks obtained in the Main Examination and the Viva-Voce Test both. In case of tie of marks between the candidates in the final selection list, their selection will be made firstly on the basis of qualification, i.e., person having Post Graduate Degree in Law shall be given preference and thereafter on the basis of experience, if any, in legal practice and still if necessary, on the basis of seniority in age.

15. No candidates, irrespective of the marks obtained by him in the Main Examination, shall be eligible for selection for appointment, if he/she obtains less than minimum **prescribed** marks in the Viva-Voce Test.

16. आरक्षण का लाभ :–

(i) अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व ऑनलाईन आवेदन में जिस कोटि हेतु दावा किया जायेगा, मुख्य परीक्षा में भी ऐसे अभ्यर्थी को उसी कोटि में आवेदन करना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

(ii) प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा कोटि का दावा अंकित करना अनिवार्य होगा ।

(iii) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी (कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–6763 दिनांक–05.08.2016 के अनुसार) को झारखण्ड सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित विहित प्रपत्र में **उपायुक्त / अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(iv) अनुमान्य जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है:–

(a) अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति :–

झारखण्ड राज्य के **अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कोटि** के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–5682 दिनांक–22.10.2008 द्वारा निर्धारित विहित **प्रपत्र–I** में **ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि** तक झारखण्ड राज्य के **उपायुक्त / अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(b) अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) :–

झारखण्ड राज्य के **अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)** कोटि के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–10007 दिनांक–29.08.2012 द्वारा निर्धारित विहित **प्रपत्र–II (ननक्रीमीलेयर प्रमाण सहित) में ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि** तक झारखण्ड राज्य के **उपायुक्त / अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत **वैध (Valid)** एवं **अद्यतन** जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।

(v) झारखण्ड सरकार द्वारा जाति प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट **www.jpsc.gov.in** पर Important Jharkhand Govt. Circular and Notices में उपलब्ध है।

(vi) झारखण्ड राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए जाति प्रमाण पत्र से संबंधित विवरणी यथा प्रमाण पत्र संख्या, जारी करने की तिथि, अनुमंडल, जिला, राज्य एवं निर्गत करने वाले प्राधिकार का नाम ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा।

(vii) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् निर्गत जाति प्रमाण पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

(viii) झारखण्ड राज्य के **उपायुक्त / अनुमण्डल पदाधिकारी** से अलग प्राधिकार यथा **अंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी** आदि स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(ix) केन्द्र सरकार में नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(x) अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति हेतु दिनांक–22.10.2008 से पूर्व निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(xi) शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण में अनुमान्य नहीं होगा।

(xii) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I (अनुसूची–I) एवं पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) के अभ्यर्थी जो आरक्षण का दावा करते हैं, उनके द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र (विज्ञापन की कंडिका 16 (iv) (a) एवं (b) में उल्लेखित) से अलग्र निर्गत जाति प्रमाण पत्र संबंधी प्रविष्टि करने एवं मुख्य परीक्षा के पूर्व आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र संलग्न किये जाने पर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।

17) (A) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणामः–

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :-

(a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
(b) Impersonating, or
(c) Procuring impersonation by any person, or
(d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
(e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
(f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
(g) Using unfair means during the test, or
(h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
(i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
(j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
(k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
(l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
    (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
    (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
    (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(B) **कदाचार के लिए कार्यवाही** :–
ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गऐ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(C) **पूर्व के कदाचार का प्रभावः**–
वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

(D) **अपवादः**– वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

18. परीक्षा शुल्कः–

(a) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबधित सूचना आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(b) अनारक्षित, पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रू0–**600 (छः सौ) + बैंक चार्ज** मात्र है।

(c) **परीक्षा शुल्क में छूट**– झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0–**150/– (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज** मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से इतर कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क भरे जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। **परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।**

(d) निःशक्त अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है। इसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता प्रमाण–पत्र का विवरण ऑनलाईन आवेदन में प्रविष्ट करना एवं मुख्य परीक्षा के पूर्व आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(e) कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता वाले निःशक्त अभ्यर्थियों को छोड़कर अन्य अभ्यर्थियों द्वारा बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे।

19. <u>आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश</u>

(a) **Online आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है,** परंतु कंडिका–19 (s) में निहित निदेश के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति (Hard Copy) **मुख्य परीक्षा के पूर्व आवेदन के साथ जमा किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी तथा अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।**

(b) मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र का विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। मुख्य परीक्षा हेतु वांछित प्रमाण–पत्र आवेदन के साथ अंतिम तिथि तक स्वीकार्य होंगे लेकिन निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् कोई भी प्रमाण–पत्र (अनापत्ति प्रमाण–पत्र छोड़कर) स्वीकार्य नहीं होगा।

(c) साक्षात्कार के समय अभिलेख सत्यापन के दौरान ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि तदनुसार मुख्य परीक्षा हेतु समर्पित आवेदन पत्र में वर्णित एवं संलग्न प्रमाण पत्र/अभिलेखों को मूल रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा **अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।** अभिलेख सत्यापन के दौरान अलग्र से कोई भी प्रमाण–पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। **अभिलेख सत्यापन के उपरान्त अंतिम रूप से वैध एवं स्वीकृत अभ्यर्थी ही साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे।**

(d) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट **<u>www.jpsc.gov.in</u>** पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

(e) Online Application में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना एवं तदनुसार मुख्य परीक्षा हेतु समर्पित आवेदन एवं संलग्न प्रमाण पत्रों के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली–भाँति विज्ञापन में निहित सभी प्रावधान एवं निर्देशों के अनुसार ही भरें। **एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्त्तन का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।**

"पुरूष अभ्यर्थियों के लिए बाएं अंगुठे का निशान एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए दाएं अंगुठे का निशान आवेदन के निर्धारित स्थान पर स्कैन कर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।"

(f) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व "How to apply" (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No.– 0651/2213009 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह–10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

(g) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है :–

(h) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.–**0651/2213009** पर संपर्क किया जा सकता है।

(i) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। **निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।**

"सभी संदर्भित प्रमाण पत्रों की स्कैन प्रति आवेदन के साथ आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।"

(j) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।

(k) आवेदक अपना नाम, पिता का नाम की वर्त्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक पत्र में अंकित है।

(l) जन्म तिथि– आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें।

(m) ऑनलाईन आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी, अधिवक्ता के रूप में निबंधन प्रमाण पत्र, अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता (यदि हो तो), उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निःशक्तता प्रमाण पत्र, खेलकूद प्रमाण पत्र संबंधी विवरणी ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र के निर्धारित कॉलम में अनिवार्य रूप से प्रविष्ट करेंगे।

(n) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय संशोधित, स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(o) Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(p) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।

(q) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दी गई सूचनाएँ तदनुरूप **मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन में दी गयी सूचना एवं आवेदन के साथ** समर्पित प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों के किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना, तथ्य छिपाने या भिन्नता की स्थिति पाये जाने पर आयोग ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे।

(r) अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र में सही–सही सूचना प्रविष्ट करते हुए संबंधित प्रमाण पत्र/अभिलेख (**कंडिका–19 (s)** के अनुसार अनिवार्य रूप से संलग्न कर मुख्य परीक्षा के पूर्व निर्धारित तिथि तक समर्पित करेंगे। **भूल सुधार/त्रुटि निराकरण का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।**

(s) ***अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति Hard Copy आयोग कार्यालय में मुख्य परीक्षा के पूर्व आवेदन के साथ ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करेंगे:–***

(i) जन्म तिथि के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र।

(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक उतीर्णता संबंधी अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।

(iii) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 के तहत निबंधन प्रमाण पत्र।

(iv) अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता (यदि हो तो)।

(v) जाति प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में (झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कोटि के अभ्यर्थियों हेतु प्रपत्र–I में तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग–I एवं पिछड़ा वर्ग–II कोटि के अभ्यर्थियों हेतु प्रपत्र–II में)।

(vi) सक्षम प्राधिकार द्वारा पूर्ण सूचनाओं सहित विहित प्रपत्र में निर्गत निःशक्तता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।

(vii) खेलकूद कोटे हेतु दावे के समर्थन में खेलकूद प्रमाण–पत्र।

(viii) अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।

20. **अंतिम तिथि :–**

(a) आवेदक Online Application System के माध्यम से **दिनांक–24.11.2018 से 24.12.2018** रात 11:45 बजे तक ही **Online** आवेदन कर सकते हैं

(b) दिनांक–**24.12.2018 के बाद दिनांक–26.12.2018** तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

(c) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।